

# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या  
12/02/2019

प्रवेश तिथि  
10-01-2019

निर्णय दिनांक  
19-06-2019

1- सुरजदास स्वामी पुत्र श्री लादूदास स्वामी जाति स्वामी निवासी ग्राम लेकड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1- तहसीलदार बानसूर, तहसील बानसूर जिला अलवर राज0।

—रेस्पाडेन्ट



अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार बानसूर आराजी ख0 नं0 604 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम लेकड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर दिनांक 23.08.2018

उपस्थित:-

01. श्री जितेन्द्र शर्मा

—वकील अपीलान्ट्स

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 23.08.2018 जिसके द्वारा आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम लेकड़ी तहसील बानसूर जिला अलवर को अतिक्रमण मुक्त कराकर मौके पर रास्ता चालू किया गया है। से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 604 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम लेकड़ी तहसील बानसूर में स्थित है। उक्त आराजी का साबिक खसरा नम्बर 503 रकबा 5 बिस्वा तथा इससे पूर्व साबिक खसरा नम्बर 67 मिन रकबा 5 बिस्वा था। अपीलांट की खरीदशुदा कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी को अपीलांट द्वारा पूर्व खातेदार मातादीन सिंह पुत्र रामनाथ सिंह जाति राजपूत निवासी लेकड़ी तहसील बानसूर से जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.07.1996 में खरीदा था। उक्त बयनामा का इंतकाल संख्या 480 दिनांक 22.08.1996 अपीलांट के नाम दर्ज व स्वीकार हो गया। उपरोक्त आराजी में कभी कोई रास्ता नहीं रहा। मौके पर उक्त आराजी अपीलांट की अन्य आराजी खसरा नम्बर 603 रकबा 0.96 है0 व 605 रकबा 0.24 है0 में मिली हुई है अर्थात् विवादित आराजी का मौके पर अलग से अस्तित्व नहीं है। उक्त आराजी सवत् 2017 व 2021 में किस्म बारानी दोयम दर्ज है। गिरदावरी सवत् 2010-2021 में काश्त अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त आराजी की किस्म गैरमुमकिन रास्ता नहीं है। जिसकी दुरुस्ती के लिए अपीलांट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर के यहां दावा पेश किया हुआ है जो आज भी विचाराधीन है। रेस्पौ0 ने विवादित आराजी बाबत एक मौका पर्चा दिनांक 23.08.2018 को बनाया जिसमें विवादित आराजी को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर रास्ता मौके पर चालू किया जाना अंकित किया है। जो सरासर गलत है। क्योंकि दिनांक 23.08.2018 को मौके पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। केवल मौके पर रेस्पौ0 द्वारा रास्ता निकालने की धमकी दी थी। विवादित आराजी में आज भी कोई रास्ता नहीं है और ना कभी कोई रास्ता था। विवादित भूमि पर आज भी काश्त हो रही है। उक्त मौका पर्चा रेस्पौ0 द्वारा कार्यालय में बैठकर बनाये गये है। जिसकी आड़ में उक्त विवादित आराजी में से रास्ता निकालने की जूस्तजु में है। विवादित आराजी अपीलांट की रिकॉर्डेड कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है और उसी पर अपीलांट का ही अतिक्रमण बताया जा रहा है जो हास्यास्पद है। यदि उक्त आराजी में से जबरन रास्ता कायम किया गया तो अपीलांट को नापूर्ति क्षति होगी। रेस्पौ0 द्वारा उक्त कार्यवाही गलत तरीके से अपीलांट को बिना सुने ही की है जिसकी जानकारी अपीलांट को दिनांक 04.09.2018 को हुई। जिस पर दिनांक 10.09.2018 को नकल प्राप्त कर अविलम्ब अपील पेश की गई है। उक्त

मन्सूरी  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
अलवर (राज0)

संबंध में दफा 5 मियाद अधिनियम प्रा0पत्र अलग से पेश किया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर तहसीलदार बानसूर द्वारा बनाया गया मौका पर्चा आदेश दिनांक 23.08.2018 निरस्त फरमाया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम दफा 5 मियाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर विचार किया गया। अपीलांट ने यह अपील आदेश दिनांक 23.08.2018 के विरुद्ध दिनांक 10.01.2019 को पेश की गई। जो करीब 4 माह 15 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। मियाद के बिन्दु पर सहानुभूति रखते हुए प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। जहां तक गुणावागुण का प्रश्न है हस्तगत प्रकरण में अवलोकन से पाया जाता है कि मौका पर्चा दिनांक 20.07.2018 में खसरा नम्बर 600 रकबा 0.08 है0 व 604 रकबा 0.06 है0 गैरमुमकिन रास्ता खातेदारी मुताबिक रिकॉर्ड बताया गया है। अपीलांट द्वारा उक्त मौके पर्चा दिनांक 23.08.2018 को निरस्त करने का निवेदन किया गया है। जबकि उक्त मौका पर्चा अनुसार दिनांक 23.08.2018 को अतिक्रमण मुक्त कर कार्यवाही की जा चुकी है। उक्त मौका पर्चा निरस्त किया जाना सम्भव नहीं है। अपील अपीलांट खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बानसूर को उनके रिकॉर्ड के साथ भिजवायी जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19-06-2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



Mally  
19/6/19  
(भगवत सिंह देवल)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अलवर (राजस्थान)